



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 2, 2014
(PHALGUNA 11, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 2nd March, 2014

No. 19—HLA of 2014/19.—The Haryana Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-Technical Posts) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 19—HLA of 2014

THE HARYANA (ABOLITION OF DISTINCTION OF PAY SCALE BETWEEN TECHNICAL AND NON-TECHNICAL POSTS) BILL, 2014

A

BILL

to abolish the distinction in the pay scales prescribed for technical and non-technical posts.

Whereas, the higher pay scale was granted with effect from 1-2-1981 to the persons having technical qualifications and whereas thereafter all these persons covered under serial number 3 under common category posts in the annexure to

instructions bearing No. 1/54/2PR(FD)-82, dated 30-03-1982, serial number 40 in annexure A to instructions bearing No. 6/23/3PR (FD)-88, dated 23-08-1990, No. 6/23/3PR(FD)-88, dated 26-07-1991 and No. 6/83/2009-3PR(FD), dated 09-08-2010 have been given pay scales as per qualification held by the incumbent under the relevant service rules;

And, whereas, it is expedient to withdraw the instructions with respect to entry at serial number 3, under 'common category posts' in the annexure to instructions bearing No. 1/54/2PR(FD)-82, dated 30-03-1982; at serial number 40 in annexure A to instructions bearing No. 6/23/3PR(FD)-88, dated 23-08-1990, No. 6/23/3PR(FD)-88, dated 26-07-1991 and No. 6/83/2009-3PR(FD), dated 09-08-2010 whereby on the basis of the prescribed qualifications of technical nature, a distinction had been created between the posts with regard to admissibility of pay scale;

Be it enacted by the legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title,
application and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-technical Posts) Act, 2014.

(2) It shall be applicable on all the services under the State of Haryana.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st February, 1981.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Government" means Government of Haryana in the administrative department;

(b) "prescribed pay scale" means the pay scale prescribed for any post under the provisions of the relevant service rules applicable to different services under various Departments, Boards or Corporations of the State, as revised/modified/amended/specified from time to time by way of notification/instruction/office order of the Finance Department;

(c) "person" means a person appointed to a post in connection with the affairs of the Government of Haryana, under various Departments, Boards or Corporations, under the administrative control of the Government of Haryana;

(d) "post" means a post falling under Group C or Group D Service in different Government Departments, Boards or Corporations;

- (e) "pre-revised pay scale" means pay scale of Rs. 480-760, prescribed by the Haryana Government for certain posts with effect from 1-2-1981, 1200-2040 w.e.f. 1-1-1986, 4000-6000 w.e.f. 1-1-1996 and PB-1, 5200-20200 GP 2400 w.e.f. 1-1-2006 and 950-1400 w.e.f. 1.5.1990, 3050-4350 w.e.f. 1-1-1996 and PB-1, 5200-20200 GP 1800 w.e.f. 1-1-2006;
- (f) "Services" means Civil Services of Group C or Group D posts in connection with the affairs of the Government of Haryana falling under various Departments, Boards or Corporations;
- (g) "State" means the State of Haryana in the administrative department;
- (h) "technical qualification" means Matric with ITI/Polytechnic or Non-Matric with ITI/Polytechnic whichever is prescribed for appointment to a post in the Services.

3. Notwithstanding anything contrary contained in any service rules, instructions etc., all persons serving on various posts in different Services under the State shall be entitled to get the pay scales prescribed for those posts only under the relevant service rules, notifications and instructions issued from time to time and no person who is serving or has served on any post in any Service under the State, shall be entitled to a higher pay scale on account of possessing a technical qualification, or on account of serving or having served on a post for which the prescribed qualification is/was of technical nature i.e. Matric with ITI/Polytechnic or Non-Matric with ITI/Polytechnic. Entitlement to pay scales.

4. The entry at serial number 3 under 'common category posts' in the annexure to instructions bearing No. 1/54/2PR(FD)-82, dated 30-03-1982, at serial number 40 in annexure A to instructions bearing No. 6/23/3PR(FD)-88, dated 23-08-1990, No. 6/23/3PR(FD)-88, dated 26-07-1991 and No. 6/83/2009-3PR(FD), dated 09-08-2010 are hereby withdrawn and shall be deemed to have been withdrawn with effect from the date of their coming into force : Withdrawal of instructions.

Provided that all those persons who had already been granted unconditionally the up-graded pre-revised pay scale and drawing the same before date of notification of the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-technical Posts) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 6 of 2013), viz. the 10th December, 2013, shall continue to draw these pay scales, as a measure personal to them.

5. Notwithstanding anything contained in any instructions, rules or other law for the time being in force or any judgment, decree, order or decision of any Court, Tribunal or Authority, all the employees appointed to a post in connection with the affairs of the Government of Haryana under various departments, boards or corporations, shall be entitled only to the pay scales of the posts held by them, which were granted to them under the relevant service rules, notifications and instructions issued from time to time, irrespective of their qualifications. Grant of pay scales as per relevant rules and notifications.

Immunity for
action taken in
good faith.

6. No suit, prosecution or any legal proceedings shall lie against the State Government, Board or Corporation or any officer or employee of the State Government, Board or Corporation for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act.

Bar of jurisdiction.

7. No Civil Court shall have the jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter arising under or connected with this Act.

Power to issue
directions.

8. The Government shall be competent to issue such directions, as may be necessary, for the proper enforcement of the provisions of this Act.

Power to remove
difficulties.

9. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears necessary or expedient for removing such difficulty.

Savings.

10. Notwithstanding such withdrawal, anything already done or any action taken under the above instructions referred to in section 4 of this Act, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Repeal and saving.

11. (1) The Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-technical Posts) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 6 of 2013), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Prior to 30-3-1982 the pre revised pay scale of Rs.120-250 and Rs.140-250 was applicable to various Class-III posts under the State Government. These pay scales were revised to Rs. 400-660 and Rs. 420-700 respectively *w.e.f.* 1-4-1979 in accordance with the recommendations of the Third Pay Commission.

2. *W.e.f.* 1-2-1981, the aforesaid pay scales of Rs. 400-660 and Rs.420-700 were further upgraded to Rs.480-760 for those persons who were having the qualifications of Matric with two years ITI certificate *vide* instructions dated 30-03-1982. This pay scale of Rs. 480-760 granted to the persons possessing the qualification of Matric with two years ITI certificate was further revised to Rs.1200-2040 in accordance with the recommendations of Fourth Pay Commission *w.e.f.* 1-1-1986.

3. Five pay scales which came into existence by way of conversion on the basis of recommendations of the Fourth Pay Commission *w.e.f.* 1-1-1986, *i.e.* Rs.750-940; Rs. 775-1025; Rs. 800-1150; Rs. 950-1400; and Rs.950-1500, were applicable to various categories of Class-IV and Class-III persons. Such Class IV and Class-III persons to whom these five pay scales were applicable included Class IV posts like Peons, Malies, Chowkidars, Sweepers and Helpers *etc.*; and Class-III posts like Clerks, Stenos, Mechanics, Computer Operators *etc. etc.*

4. Instructions dated 23.8.1990 were issued to the effect that the pay scale of Rs.1200-2040 will be granted to all those persons who were working against the technical posts for which a minimum prescribed educational qualification is "Matric with ITI certificate/Polytechnic". Accordingly, all those persons who were placed in any of the aforesaid five pay scales and if the prescribed qualification of their post was Matric with ITI certificate/Polytechnic" were granted the up-graded pay scale of Rs.1200-2040, because their posts were declared technical.

5. The afore-said instructions dated 23-8-1990 were further modified *vide* instructions dated 26-7-1991, *vide* which aforesaid five different pay scales were divided into two categories of technical pay scales *i.e.* (i) the category of the persons who were working against the posts with prescribed qualifications of "Matric with ITI certificate/Polytechnic" and (ii) those persons who were working against the posts for which the prescribed qualification was "non Matric with ITI certificate/Polytechnic". While for the first category the pay scale of Rs.1200-2040 was retained *w.e.f.* 1-5-1990; to the second category a slightly lower pay scale of Rs. 950-1400 was granted *w.e.f.* the same date *i.e.* 1-5-1990.

6. While issuing the aforesaid instructions dated 23-8-1990 and 26-7-1991 *vide* which the concept of technical post was evolved, the State did not define the expression "technical posts". The expression "ITI certificate/Polytechnic" was also not defined. The expression non Matric with ITI certificate/Polytechnic too was left without a definition. ITI and Polytechnic institutions run a wide variety of courses ranging in duration from a few weeks to a couple of years. The mandate of ITIs and Polytechnics is to impart skills to the youth to enable them to get self-

employed or find jobs in different kinds of Trade and Industry. The courses being run by such institutes include Cutting and Tailoring, Stenography, Carpentry, various trades of Mechanical, Electronics and Chemical Skills, skills relating to operation of machinery, skills relating to repair and maintenance of machinery *etc. etc.*

7. On account of not having defined the expression 'technical posts' a spate of litigation has been going on by way of writ petitions, SLPs and Contempt Petition in the Hon'ble High Court as well as Hon'ble Supreme Court. Basically, because of the benefit of higher pay scales being available, all kinds of persons have been approaching the courts for getting their posts declared "Technical" either on the strength of possessing a certificate/diploma from the ITI/Polytechnic of any duration, or even on the strength of just working against the such posts even though without possessing any qualification from ITIs/Polytechnics or other qualification prescribed for the technical posts".

Government has been granting the benefits of technical pay scales to wide variety of employees on the basis of judgments of the courts. Now, a situation has reached that even an unqualified person, if he happens to be working against a technical post or if he was promoted against a technical post is getting the technical pay scale without possessing any qualification. Further the persons who happen to possess a technical qualification but who got recruited against a post for which no technical qualifications were prescribed have also got such pay scales through some rulings of the courts.

8. Facts situation is that a technically qualified person may have been recruited on a post of totally non technical nature. Similarly a non qualified person may be working against a post for which prescribed qualification is of technical nature. It is the prescribed qualifications as well as the nature of the job which determines whether a person is eligible to get technical pay scales or not. One of the conditions being satisfied is not enough to declare a post technical.

9. The instructions dated 23-8-1990 and 26-7-1991 are still in force. The expressions 'Matric with ITI certificate/Polytechnic' and 'non Matric with ITI certificate/Polytechnic' have neither been defined nor possible to be precisely defined. There are numerous varieties of jobs in the State. For example a Data Entry Operator or a Steno-typist both possesses ITI certificates but their job is of non technical nature. Such as well as numerous other categories of persons are constantly approaching the courts for getting benefits under the aforesaid instructions of the State Government. This is constantly giving rise to litigation and disputes which is consuming much time of the courts as well as of the State Government.

10. After 1990, the pay scales of all the posts under the State have been further revised twice *i.e.* by the Fifth Pay Commission *w.e.f.* 1-1-1996 and by Sixth Pay Commission *w.e.f.* 1-1-2006. Now specific pay scales stands prescribed for specific posts. Most of the pay scales against specific posts stand precisely categorized in the Rules applicable in respective Departments and Boards and

Corporations under the State Government of Haryana. The State from time to time, over the last 20 years have upgraded, modified and reconsidered various pay scales applicable to specific category of persons and posts. These pay scales have been so modified after due consideration of the representations of the groups of employees.

11. The nomenclature and qualifications of wide variety of posts have been re-structured and amended by the State keeping in view the changing requirements. Further, such changes keep happening as a dynamic basis keeping in view changing nature of jobs and requirements of the departments. For example for the recruitment against Class-III posts like that of Clerks, Steno-typist *etc.* computer literacy qualifications have been made mandatory. In certain sense almost everybody has to have some technical skills. Further, highly technically qualified persons are getting recruited for any available job including a non technical job.

12. In view of the aforesaid changed circumstances, now there is no need to distinguish the posts as technical and non-technical, consequently, there is no need for prescribing a separate pay scale for so called technical posts. Many changes in this regard have taken place for the last 20 years and now need for such distinction of posts no longer exist.

13. Simple withdrawal of the said instructions dated 23-8-1990 and 26-7-1991 by way of Executive decision may leave scope for unnecessary litigation. Therefore, it has been found expedient to withdraw the instructions dated 30-3-1982, 23-8-1990, 26-7-1991 and 9-8-2010 *w.e.f.* the date those instructions came into force subject to the condition that all those persons who had already been granted the up-graded pre-revised pay scale and drawing the same before the date of notification of the Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale between Technical and Non-technical Posts) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 6 of 2013), *viz.*; the; 10th December, 2013, shall continue to draw these pay scales, as a measure personal to them. Further, all Government employees of different categories will enjoy the pay scales as have been prescribed for their respective posts under the relevant Rules and Instructions applicable to them except the aforesaid instructions which are sought to be withdrawn.

HARMOHINDER SINGH CHATTHA,

Finance Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 2nd March, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 19-एच.एल.ए.

हरियाणा (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के बीच वेतनमान
की भिन्नता का समापन) विधेयक, 2014तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के लिए विहित
वेतनमानों में भिन्नता को समाप्त
करने के लिए
विधेयक

चूंकि, तकनीकी योग्यताएं रखने वाले व्यक्तियों को 1.2.1981 से उच्चतर वेतनमान प्रदान किया गया था और चूंकि उसके बाद हिदायत संख्या 1/54/2पीआर(एफडी)-82, दिनांक 30.03.1982 के अनुबद्ध में समान प्रवर्ग पदों के नीचे क्रम संख्या 3, हिदायत संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 23.08.1990 के अनुबद्ध में क्रम संख्या 40, संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 26.07.1991 तथा संख्या 6/83/2009-3पीआर (एफडी), दिनांक 09.08.2010 के अधीन आने वाले इन सभी व्यक्तियों को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पदधारी द्वारा धारित योग्यता के अनुसार वेतनमान दिए गए हैं ;

और, चूंकि, हिदायत संख्या 1/54/2पीआर(एफडी)-82, दिनांक 30.03.1982 के अनुबद्ध में 'समान प्रवर्ग पदों' के नीचे क्रम संख्या 3 में ; हिदायत संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 23.08.1990 के अनुबद्ध में क्रम संख्या 40 में, संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 26.07.1991 तथा संख्या 6/83/2009-3पीआर (एफडी), दिनांक 09.08.2010 जिसके द्वारा तकनीकी स्वरूप की विहित योग्यताओं के आधार पर वेतनमान की स्वीकार्यता के सम्बन्ध में पदों के बीच भिन्नता उत्पन्न हो गई थी, की प्रविष्टि के सम्बन्ध में हिदायतें वापस लेना समीचीन है ;

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में हरियाणा के राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम,
लागूकरण तथा
प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के बीच वेतनमान की भिन्नता का समापन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

(2) यह हरियाणा राज्य के अधीन सभी सेवाओं को लागू होगा।

(3) यह प्रथम फरवरी, 1981 से लागू हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ख) "विहित वेतनमान" से अभिप्राय है, वित्त विभाग की अधिसूचना/हिदायत/कार्यालय आदेश के द्वारा समय-समय पर यथा

पुनरीक्षित/उपान्तरित/ संशोधित/ विनिर्दिष्ट राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों या निगमों के अधीन विभिन्न सेवाओं को लागू सुसंगत सेवा नियमों के उपबन्धों के अधीन किसी पद के लिए विहित वेतनमान;

- (ग) "व्यक्ति" से अभिप्राय है, सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण के अधीन, विभिन्न विभागों, बोर्डों या निगमों के अधीन, हरियाणा सरकार के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (घ) "पद" से अभिप्राय है, राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों या निगमों में ग्रुप ग या ग्रुप घ सेवा के अधीन आने वाला कोई पद;
- (ङ) "पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान" से अभिप्राय है, सरकार द्वारा कतिपय पदों के लिए 1.2.1981 से रुपए 480-760, 1.1.1986 से 1200-2040, 1.1.1996 से 4000-6000 तथा 1.1.2006 से पी.बी.-1-5200-20200जीपी-2400 तथा 1.5.1990 से 950-1400, 1.1.1996 से 3050-4350 तथा 1.1.2006 से पी.बी.-1-5200-20200जीपी-1800 विहित वेतनमान;
- (च) "सेवा" से अभिप्राय है, विभिन्न विभागों, बोर्डों या निगमों के अधीन आने वाले सरकार के कार्यकलाप के सम्बन्ध में ग्रुप ग या ग्रुप घ पदों की सिविल सेवाएं ;
- (छ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;
- (ज) "तकनीकी योग्यता" से अभिप्राय है, आई.टी.आई./ पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक या आई.टी.आई./ पॉलिटैक्निक सहित गैर-मैट्रिक जो भी सेवाओं में पद पर नियुक्ति के लिए विहित है।

3. किन्हीं सेवा नियमों, हिदायतों इत्यादि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सेवारत सभी व्यक्ति सुसंगत सेवा नियमों, समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा हिदायतों के अधीन केवल उन पदों के लिए विहित वेतनमान प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा कोई भी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी सेवा में किसी पद पर सेवारत है या सेवा कर चुका है, तकनीकी योग्यता रखने के कारण, या किसी पद पर, जिसके लिए विहित योग्यता तकनीकी स्वरूप अर्थात् आई.टी.आई./ पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक या आई.टी.आई./ पॉलिटैक्निक सहित गैर-मैट्रिक की है/ थी, सेवारत होने या सेवा करने के कारण उच्चतर वेतनमान का हकदार नहीं होगा।

वेतनमानों की हकदारी।

4. हिदायत संख्या 1/54/2पीआर (एफडी)-82, दिनांक 30.03.1982 के अनुबद्ध हिदायतों की वापसी। में 'समान प्रवर्ग पदों' के नीचे क्रम संख्या 3, हिदायत संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 23.08.1990 के अनुबद्ध क्रम संख्या 40, संख्या 6/23/3पीआर (एफडी)-88, दिनांक 26.07.1991 तथा संख्या 6/83/2009-3 पीआर (एफडी), दिनांक 09.08.2010 में प्रविष्टि, इसके द्वारा, वापस ली जाती हैं तथा उनके लागू होने की तिथि से वापस ली गई समझी जाएगी :

परन्तु सभी वे व्यक्ति जिन्हें हरियाणा (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के बीच वेतनमान की भिन्नता का समापन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), अर्थात् 10 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना की तिथि से पूर्व अपग्रेडिड पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान पहले बिना शर्त के प्रदान किये गये थे तथा उसे प्राप्त कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप में निरन्तर इन वेतनमानों को प्राप्त करते रहेंगे।

सुसंगत नियमों तथा अधिसूचनाओं के अनुसार वेतनमान प्रदान करना।

5. तत्समय लागू किन्हीं हिदायतों, नियमों या अन्य विधि या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री, आदेश या निर्णय में दी गई किसी बात के होते हुए भी, विभिन्न विभागों, बोर्डों या निगमों के अधीन हरियाणा सरकार के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी पद पर नियुक्त सभी कर्मचारी केवल उन द्वारा धारित पदों के वेतनमान के हकदार होंगे, जो उनकी योग्यताओं का विचार किए बिना सुसंगत सेवा नियमों, समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं तथा हिदायतों के अधीन उन्हें दिए गए थे।

सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए उन्मुक्ति।

6. इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाहियां राज्य के विभाग, बोर्ड या निगम या राज्य के विभाग, बोर्ड या निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

अधिकारिता का वर्जन।

7. किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन या से सम्बन्धित उत्पन्न किसी मामले के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

निर्देश जारी करने की शक्ति।

8. सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के उचित लागूकरण के लिए ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम होगी, जो आवश्यक हों।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

9. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है, जो उसे ऐसी कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

व्यावृत्ति।

10. ऐसी वापसी के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट उपरोक्त हिदायतों के अधीन पहले से ही की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सम उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई विधिमान्यतः समझी जाएगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

11. (1) हरियाणा (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के बीच वेतनमान की भिन्नता का समापन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. 30.3.1982 से पहले पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान रुपए 120-250 तथा रुपए 140-250 राज्य सरकार के अधीन विभिन्न श्रेणी-III के पदों पर लागू थे। ये वेतनमान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1.4.1979 में क्रमशः रुपए 400-660 और रुपए 420-700 से पुनरीक्षित किए गए थे।

2. 1.2.1981 से उपरोक्त वेतनमान रुपए 400-660 और रुपए 420-700 से आगे उन व्यक्तियों के लिए जो हिदायत दिनांक 30.3.1982 के अनुसार दो वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण पत्र सहित मैट्रिक की योग्यता रखते थे, रुपए 480-760 अपग्रेडिड किए गए थे। दो वर्षीय आई.टी.आई. प्रमाण पत्र सहित मैट्रिक की योग्यता धारक व्यक्तियों को प्रदान किया गया वेतनमान रुपए 480-760 चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1.1.1986 से रुपए 1200-2040 में पुनरीक्षित किया गया था।

3. 1.1.1986 से पांच वेतनमान अर्थात् रुपए 750-940, रुपए 775-1025, रुपए 800-1150, रुपए 950-1400 तथा रुपए 950-1500 जो चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सम्परिवर्तन के तौर पर अस्तित्व में आए, श्रेणी चार तथा श्रेणी तीन व्यक्तियों के विभिन्न प्रवर्गों को लागू थे। ऐसे श्रेणी चार तथा श्रेणी तीन व्यक्तियों जिन पर ये पांच वेतनमान लागू थे, जिनमें श्रेणी चार के पद जैसे सेवादार, माली, चौकीदार, स्वीपर तथा हैल्पर इत्यादि तथा श्रेणी तीन के पद जैसे लिपिक, स्टैनों, मकैनिक, कम्प्यूटर आपरेटर इत्यादि शामिल हैं।

4. हिदायत दिनांक 23.8.1990 इस उद्देश्य से जारी की गई कि वेतनमान रुपए 1200-2040 उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। जो तकनीकी पदों पर कार्य कर रहे थे। जिसके लिए कम-से-कम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक है। तदानुसार ये सभी व्यक्तियों जो उपरोक्त पांच वेतनमानों में से किसी एक में रखे गए थे तथा यदि उनके पद की निर्धारित योग्यता आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक थी, को अपग्रेडिड वेतनमान रुपए 1200-2040 दिए गए थे क्योंकि उनके पद तकनीकी स्वरूप के घोषित किए गए थे।

5. उपरोक्त हिदायत दिनांक 23.8.1990 आगे हिदायत दिनांक 26.7.1991 द्वारा संशोधित की गई थी। जिसके द्वारा उपरोक्त पांच विभिन्न वेतनमान तकनीकी वेतनमानों अर्थात् (i) व्यक्तियों का प्रवर्ग जो आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक की निर्धारित योग्यताओं के पदों पर कार्य कर रहे थे (ii) वे व्यक्ति जो उन पदों पर कार्य कर रहे थे जिनके लिए निर्धारित योग्यता आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित गैर मैट्रिक थी, के दो प्रवर्गों में विभाजित किए गए थे। जब 1.5.1990 से प्रथम प्रवर्ग के लिए वेतनमान रुपए 1200-2040 रखा गया था, द्वितीय प्रवर्ग को मामूली सा निम्न वेतनमान रुपए 950-1400 उसी तिथि अर्थात् 1.5.1990 से प्रदान किया गया था।

6. उपरोक्त हिदायतें दिनांक 23.8.1990 तथा 26.7.1991 जारी करते समय उनके द्वारा तकनीकी पद विकसित करने की धारणा थी, 'तकनीकी पदों' की अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं की गई। 'आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक' की अभिव्यक्ति भी परिभाषित नहीं की गई थी। आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित गैर मैट्रिक की अभिव्यक्ति भी परिभाषित किए बिना छोड़ दी गई थी। आई.टी.आई. तथा पॉलिटैक्निक संस्थाएं कुछ सप्ताह से लेकर द्विवार्षिक तक की श्रेणी के विभिन्न किस्म के कोर्स चला रही हैं। आई.टी.आई. तथा पॉलिटैक्निक का उद्देश्य युवाओं को स्व रोजगार प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के व्यापार या उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के लिए, योग्य बनाने के लिए निपुणता प्रदान करना है। ऐसे संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे कोर्स जिसमें कटाई तथा सिलाई, आशुलिपि, कारपेंटर, मकैनिकल, इलैक्ट्रॉनिक तथा कैमीकल निपुणता की विभिन्न ट्रेड, मशीन संचालन से सम्बन्धित निपुणता, मशीन की मुरम्मत तथा रख-रखाव से सम्बन्धित निपुणता इत्यादि शामिल हैं।

7. 'तकनीकी पदों' की अभिव्यक्ति परिभाषित नहीं करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के साथ-2 माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिकाएं, एस.एल.पी. तथा अवमानना याचिका के तौर पर वादों की बाड़ सी आ गई। बुनियादी रूप से, क्योंकि उच्च वेतनमानों की उपलब्धता का लाभ लेने के लिए, सभी प्रकार के व्याक्तियों ने उनके पदों को 'तकनीकी' अर्थात किसी कालअवधि की आई.टी.आई./पॉलिटैक्निक से प्रमाण पत्र/उपाधि पत्र रखने की सामर्थ्या पर या ऐसे पदों पर मात्र कार्य करने की सामर्थ्या पर यद्यपि आई.टी./पॉलिटैक्निक से कोई योग्यता या तकनीकी पदों के लिए निर्धारित अन्य योग्यता रखे बिना, घोषित करवाने के लिए न्यायालयों में दस्तक दी। सरकार द्वारा न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर विभिन्न प्रकार से कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिए गए। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यद्यपि अयोग्य व्यक्ति, यदि वह तकनीकी पद पर कार्य कर रहा है या यदि वह तकनीकी पद पर पदोन्नत किया गया था, कोई योग्यता पूरी किए बिना तकनीकी वेतनमान प्राप्त कर रहा है। आगे व्यक्ति जो तकनीकी योग्यता रखते हैं किन्तु वे उस पद पर भर्ती किए गए हैं। जिसके लिए कोई तकनीकी योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी उन्होंने न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर ऐसे वेतनमान प्राप्त कर लिए हैं।

8. वास्तविकता यह है कि तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति पूर्ण रूप से गैर तकनीकी स्वरूप के पद पर भर्ती किया जा सकता है। इसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति उस पद पर कार्य कर सकता है जिसके लिए निर्धारित योग्यता तकनीकी स्वरूप की नहीं है। निर्धारित योग्यताओं के साथ-2 कार्य की किस्म निर्धारित करती है कि क्या कोई व्यक्ति तकनीकी वेतनमान प्राप्त करने के लिए पात्र है या नहीं। कोई एक शर्त सन्तुष्ट होने पर तकनीकी पद घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

9. हिदायत दिनांक 23.8.1990 तथा 26.7.1991 अब भी लामू है। अभिव्यक्ति 'आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित मैट्रिक तथा आई.टी.आई. प्रमाण पत्र/पॉलिटैक्निक सहित गैर मैट्रिक' परिभाषित नहीं की गई है तथा वास्तविक रूप में परिभाषित किया जाना

सम्भव नहीं हैं। राज्य में बहुसंख्यक विभिन्नताओं के रोजगार हैं। उदाहरणार्थ, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर या स्टैनो टाईपिस्ट दोनों आई.टी.आई. प्रमाण पत्र रखते हैं किन्तु उनका कार्य तकनीकी स्वरूप का नहीं है। ऐसे तथा अनेक अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों ने राज्य सरकार की उपरोक्त हिदायतों के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए निरन्तर न्यायालयों में दस्तक दी। यह निरन्तर रूप वाद तथा विवादों को उत्पन्न करती रहती है। जो न्यायालयों के साथ-2 राज्य सरकार का भी अधिक समय नष्ट कर रही है।

10. 1990 के बाद, राज्य के अधीन सभी पदों के वेतनमान दो बार पुनरिक्षित किए गए अर्थात् 1.1.1996 से पांचवे वेतन आयोग द्वारा तथा 1.1.2006 से छठे वेतन आयोग द्वारा। अब विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट निर्धारित किया गया है। विशिष्ट पदों के लिए अधिकतर वेतनमान राज्य सरकार हरियाणा के अधीन सम्बन्धित विभागों तथा बोर्डों एवं निगमों में लागू नियमों सुस्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। राज्य ने विगत बीस वर्षों के दौरान समय-2 पर विशिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्ग तथा पदों पर लागू विभिन्न वेतनमानों को अपग्रेड, संशोधित तथा विचार किया है। वे वेतनमान कर्मचारी गुणों के प्रतिनिधियों से सम्पक विचार के बाद संशोधित किए गए हैं।

11. विस्तृत विभिन्न पदों की नामपद्धति तथा योग्यताएं अपेक्षित बदलावों के दृष्टिगत राज्य द्वारा पुनः सुसंगठित तथा संशोधित की गई। ऐसे बदलाव कार्य के स्वरूप में बदलाव तथा विभागों की अपेक्षाओं के दृष्टिगत परिवर्तनात्मकता के आधार पर घटित हुए हैं। उदाहरणार्थ श्रेणी तीन पदों जैसे कि लिपिक, आशुलिपिक इत्यादि की भर्ती के लिए कम्प्यूटर लिटरेसी योग्यता अनिवार्य की गई है। कतिपय अर्थों में अधिकतर प्रत्येक व्यक्ति कुछ तकनीकी निपुणता रखता है। तकनीकी रूप से उच्चतर अर्हक व्यक्ति, गैर तकनीकी कार्य सहित किसी उपलब्ध कार्य के लिए भर्ती किए जा सकते हैं।

12. उपरोक्त बदलती हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत, अब तकनीकी तथा गैर तकनीकी रूप के पदों में भेद करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप इस प्रकार तकनीकी कहे जाने वाले पदों के लिए अलग से वेतनमान निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में विगत 20 वर्षों में बहुत से बदलाव किए गए हैं तथा अब इससे आगे ऐसे पदों में भिन्नता रखने की आवश्यकता नहीं है।

13. सामान्तया कार्यकारी आदेश के तौर पर उक्त हिदायतें दिनांक 23.8.1990 तथा 26.7.1991 को वापस लेकर अनावश्यक वाद हेतु विषय को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यह समीचीन पाया गया है कि हिदायतें दिनांक 30.3.1982, 23.8.1990, 26.7.1991 तथा 9.8.2010 को उस तिथि से जिससे वह लागू हुई थी इस शर्त के अध्याधीन वापस ले लिया जाए कि ये सभी व्यक्ति जिनके पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान पहले से अपग्रेडिड किए गए थे तथा हरियाणा (तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों के बीच वेतनमान की भिन्नता का समापन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), अर्थात् 10 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना की तिथि से पूर्व अपग्रेडिड पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान पहले प्रदान किये गये थे तथा

उसे प्राप्त कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप में निरन्तर इन वेतनमानों को प्राप्त करते रहेंगे। विभिन्न प्रवर्गों के सभी कर्मचारी उपरोक्त हिदायतों जो वापस ली जानी है, के सिवाए उन्हें लागू सम्बन्धित नियमों तथा हिदायतों के अधीन उनके अपने-2 पदों के लिए निर्धारित किए गए वेतनमानों को भोगते रहेंगे।

हरमोहिन्दर सिंह चट्टा,
वित्त मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 2 मार्च, 2014.

सुमित कुमार,
सचिव।